न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां R.T.S.
मिसल नं. ::: 261 / 2021

सरकार बनाम जितेन्द्र पुत्र दुर्जनसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–बनगोठड़ी कलां

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 11.10.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका भाई प्रदीप सिंह उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल जितेन्द्र पुत्र दुर्जनसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–बनगोठड़ी कलां, द्वारा रोही मौजा बनगोठड़ी कलां की राजकीय भूमि ख.नं. 101 कुल रकबा 1.57 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.02 भूमि पर मकानात मय चार दीवारी व बाड़ बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके भाई प्रदीप सिंह ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसमें अपना पुराना कब्जा बताया है। अपने जवाब के संलग्न ठिकाने के पट्टे की छाया प्रति पेश की, जिसका अमल वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में नही है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536 / 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन / नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं 36 पर
वर्ष 2021-22 में रुपये 6/- कायम कि।
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़